# FROM No.III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

केसाराम बनाम खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा २१० आरोप नं. 363/19 सन 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 11-12-19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/1/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 20/01/2020 | प्रार्थी वकील उप०/ विप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भेजे गये, एडी अप्राप्त, श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आइन्दा आगामी पेशी दिनांक 11/02/2020 को पेश हो। [initials] | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:40:33 IST
Reason: SelfAttested

11-02-2020

प्रार्थी वकील उप० / विपक्षीगण के पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी भेजे गये जिनको करीब एक माह से ज्यादा समय हो चुका है विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति या जवाब अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी प्रार्थी वकील ने बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के खेत मेल-मेल आये हुए हैं, तथा दोनों खेतों के बीच की पुरानी मार्ग व कच्ची आंधियों में मिल जाती है तथा प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच मेढ़ों व कब्जा-काश्त को लेकर वर्षों से विवाद रहता है और दोनों के बीच की सीमा का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइश का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खेत की पक्की पैमाइश करने के आदेश दिये जावे।

अतः प्रार्थी वकील के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खेत की पक्की पैमाइश मौके पर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही नियमानुसार हो, पत्रावली फैसला शुमार हो, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

11.2.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:40:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

# न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/2020/37

दिनांकः– 11/02/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

केशाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट
निवासी इन्द्रोणियों का तला

खेताराम पुत्र किरपाराम वगैरा
निवासी इन्द्रोणियों का तला

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या 363/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा इन्द्रोणियों का तला पटवार हल्का कानौड़ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 402/159, 439/224, 453/256 रकबा क्रमशः 77.04, 2.05, 06.09 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

विवेक व्यास

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 38 to 42

दिनांकः– 11/02/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी कानौड़ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री केशाराम पुत्र सोनाराम
4. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र किरपाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

विवेक व्यास

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:40:33 IST
Reason: SelfAttested